राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 11619/2017</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर जिला बांसवाडा राज. बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर राज.

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 08-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री पुंकेश शर्मा, उप शासन सचिव उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 18-2-17 मुख्य सचिव, राजस्थान को प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 में दिनांक 12-1-17 को पारित प्रत्येक निर्देश की पालना हेतु दिनांक 11-2-17 से 20-2-17 तक की गई कार्यवाही की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि उप सचिव (विधि) मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदन में चाही गई सूचना उनके अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। याचिका संख्या 1554/2004 में पारित आदेश दिनांक 12-1-17 से संबंधित पत्रादि उनके अनुभाग के डायरी क्रमांक 4226 दिनांक 17-1-17 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को तथा डायरी क्रमांक 4243 दिनांक 20-1-17 से प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को तथा डायरी क्रमांक 4381 दिनांक 7-2-17 से प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर को यथोचित कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। तदानुसार सूचना का आवेदन संबंधित अधिकारियों को अ.शा.टीप दिनांक 2-3-17 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित कर संसूचित कर दिया गया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 6-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को की गई कार्यवाही के संबंध में अ.शा.टीप दिनांक 2-3-17 की प्रति भेज कर संसूचित कर दिया गया है एवं प्रथम अपील के संबंध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 5-4-17 से संसूचित कर दिया गया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वांछित सूचना से संसूचित है। प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुकूल है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त